संख्या-348/2018/2562/22-2-2017-17(701)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल, 2018**

विषय:- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सीमित अवधि की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी राज कुमार ऊर्फ खन्ना पुत्र श्री मैकू, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35303/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/(एम-17-11-2016) दिनांक-27-09-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 27-09-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राज कुमार ऊर्फ खन्ना पुत्र श्री मैकू, निवासी-झण्डा तला कस्बा मलिहाबाद, थाना-मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ का रहने वाला है। दहेज में मोटरसाईकिल व 10000/- रूपये की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 26-04-2010 को समय लगभग 10:00 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर अपनी पत्नी ममता पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1044/2010 में भा0द0वि0 की धारा-304बी0, 4- दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट संख्या-2/अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 30.10.2015 द्वारा दस वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2016 तक 04 वर्ष 00 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 02 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुके है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राज कुमार ऊर्फ खन्ना पुत्र श्री मैकू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राज कुमार ऊर्फ खन्ना (बन्दी संख्या-783/2015) पुत्र श्री मैकू, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए पर यू0पी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-348/2018/2562(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद लखनऊ ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-348/2018/2562/22-2-2017-17(701)/2017
दिनांक 19 अप्रैल, 2018 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राज कुमार ऊर्फ खन्ना (बन्दी संख्या-783/2015) पुत्र श्री मैकू, निवासी-झण्डा तला कस्बा मलिहाबाद, थाना-मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ का निवासी है। दहेज में मोटरसाईकिल व 10000/- रूपये की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 26-04-2010 को समय लगभग 10:00 बजे 03 सहअभियुक्तों के साथ मिल कर अपनी पत्नी ममता पर मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1044/2010 में भा0द0वि0 की धारा-304बी0, 4- दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट संख्या-2/अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 30.10.2015 द्वारा दस वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.04.2016 तक 04 वर्ष 00 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 02 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुके है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राज कुमार ऊर्फ खन्ना पुत्र श्री मैकू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।